दिनांक 08.10.2010 को मंथन सभागार, वन मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून में डा॰ आर॰बी॰एस॰ रावत, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाइटी की कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक का कार्यवृत्तः–

उपस्थितिः–

1. डा॰ आर॰बी॰ एस॰ रावत, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति
2. श्री एस॰एस॰ शर्मा, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति,
3. डा॰ श्रीकान्त चन्दोला, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति,
4. डा॰ श्रीकान्त चन्दोला, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड तथा सदस्य–कार्यकारी समिति,
5. श्री राजेन्द्र कुमार, नोडल अधिकारी/अपर प्रमुख वन संरक्षक–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति,
6. श्री प्रदीप गोयल, प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय में कार्यरत वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
7. सुश्री कमला महर, (प्रतिनिधि), स्वाति ग्रामोद्योग समिति, पिथौरागढ़, सदस्य कार्यकारी समिति।
8. श्री जगत सिंह चौहान, (प्रतिनिधि), पर्यावरण राग जन–जन जागृति समिति (पराज), उत्तरकाशी, सदस्य–कार्यकारी समिति।
9. श्री विजय कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

विशेष आमंत्रीः–

1. श्री एस॰सी॰ पंत, मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊ), उत्तराखण्ड–विशेष आमंत्री
2. श्री डी॰वी॰एस॰ खाती, मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड–विशेष आमंत्री।

बैठक का शुभारम्भ करते हुये उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव–कार्यकारी समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) की तृतीय बैठक का एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 3.1:– समिति के सदस्य सचिव द्वारा दिनांक 12.06.2010 को आयोजित उत्तराखण्ड कैम्पा की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव के क्रम में उक्त दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुये कार्यवृत्त को अभिलिखित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

उक्त के क्रम में कार्यकारी समिति के अध्यक्ष/प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड ने कहा कि 12.06.2010 की बैठक में उठाये गये बिन्दुओं की अनुपालन आख्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा संकलित कर आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा)

एजेण्डा बिन्दु संख्या 3.2:– उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाइटी के कार्यालय की स्थापना 200, वरान्त विहार, फेज–।।, देहरादून में किये जाने पर कार्यकारी समिति द्वारा औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 3.2.1:– महालेखाकार लेखा से मुख्य कार्यकारी अधिकारी की वनीकरण निधि के समुचित प्रबन्धन एवं लेखा पद्धति तथा ऑडिट के सम्बन्ध में किये गये पत्राचार एवं वार्ता को इस बिन्दु के माध्यम से समिति के संज्ञान रखा गया।

उक्त के सम्बन्ध में चर्चा हुई जिसके क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) के द्वारा कहा गया कि कैम्पा सोसाइटी गठन के बाद कैम्पा सोसाइटी की Balance Sheet बनाने/ऑडिट का कार्य चार्टेड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जायेगा एवं महालेखाकार के द्वारा भी ऑडिट किया जाना है, ऐसी स्थिति में दोनों के ऑडिट में discrepancy होगी जिसपर चर्चा उपरान्त अध्यक्ष कार्यकारी समिति द्वारा कहा गया कि कैम्पा हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप महालेखाकर के द्वारा Audit किया जाना है, इसमें किसी प्रकार की discrepancy नहीं आनी चाहिए। प्रमुख वन

संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति द्वारा अवगत कराया कि आगामी माह में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में इससे सम्बन्धित बैठक में चर्चा की जायेगी। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि Balance Sheet बनाने/ऑडिट हेतु महालेखाकार के panel से, ToR तय करते हुये नियमानुसार चयन प्रक्रिया के द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का चयन किया जाना चाहिए।

(कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा)

<u>एजेण्डा बिन्दु संख्या 3.2.2:–</u> अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्राप्त हुये बिना धनराशि अवमुक्त करने हेतु समिति द्वारा विचार किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिये गये:–

1. कैम्पा धनराशि के उपयोग व कैम्पा सम्बन्धित कार्यों को गति देने एवं रिपोर्टिंग आदि के लिए प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), प्रमुख वन संरक्षक (वन पंचायत), मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) तथा मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊं) के स्तर पर एक–एक मण्डलीय cell का गठन किया जाये, Cell में डाटा एन्ट्री तथा ऑन लाईन रिपोर्टिंग में दक्ष एक व्यक्ति से cell को प्रारम्भ करते हुये आवश्यकतानुसार अधिकतम दो–दो व्यक्तियों को रखा जाय। इस प्रकार के दक्षतम व्यक्ति का चयन उक्त स्तरों अथवा उनके नियन्त्रणाधीन कार्यालयों पर उक्त कार्य के लिये कार्यरत दक्ष एवं अनुभवी मानव संसाधन में से किया जाय। (प्रारम्भ में एक कर्मी)
2. कैम्पा कार्यों की APOs में अनुमोदित कार्य योजनाओं के प्रति division स्तर पर स्पष्टता (Clarity) लाने हेतु, स्थलवार पारित वार्षिक कार्य योजनाओं की प्रति को उपरोक्त स्तरों से division स्तर पर पुनः प्रेषित कर दी जाय।
3. उपरोक्त चारों स्तरों/क्षेत्रीय इकाईयों पर 75 प्रतिशत खर्च होने का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अगली किश्त का भुगतान किया जायेगा।
4. समस्त division/क्षेत्रीय इकाईयों के स्तर से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपरोक्त चारों स्तरों तक प्रेषित किये जाने की तिथि सर्वसम्मति से निर्धारित की गई। उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र Soft copy (PDF Scan and E-mail) & Hard Copy दोनों में समयबद्ध रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा को उपलब्ध कराये जायेगें।

{कार्यवाही प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), प्रमुख वन संरक्षक (वन पंचायत), मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) तथा मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊं)/ क्षेत्रीय इकाईयॉं}

<u>एजेण्डा बिन्दु संख्या 3.2.3:–</u> उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाइटी के पंजीकरण होने से पूर्व विभिन्न स्तरों से जारी की गई वित्तीय स्वीकृतियों को कैम्पा सोसाइटी पंजीकरण उपरान्त कार्यकारी समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा हुई तथा निर्णय हुआ कि कैम्पा सोसाइटी के नियम 28 के क्रम में कार्योत्तर स्वीकृति के लिए उपरोक्त बिन्दु संख्या 3.2.2 में उल्लिखित चारों स्तरों/क्षेत्रीय इकाईयों पर समस्त स्वीकृतियों के स्वीकृतिवार <u>Abstract</u> को एकत्र करते हुये उनकी Soft copy (PDF Scan and E-mail) मण्डलीय cell द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा को प्रेषित की जाय। सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कार्यकारी समिति को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की निधि से कार्यान्वयन अभिकरण स्तर पर किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की वन विभाग के सक्षम स्तर से अब तक जारी वित्तीय स्वीकृति की प्रति उत्तराखण्ड कैम्पा को प्राप्त नहीं हुई है।

उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाइटी के संगम अनुच्छेद के बिन्दु संख्या-28 के क्रम में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी समिति के द्वारा दिये जाने के क्रम में चर्चा उपरान्त निर्णय हुआ कि वन विभाग में कार्यों की स्वीकृति हेतु जो स्तर है उनके स्तर से स्वीकृति जारी की जाती रहे ऐसी संस्तुति का प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किया जाये तथा क्षेत्रीय इकाईयों के स्तर से बड़ी स्वीकृतियॉं कार्यकारी समिति के स्तर पर निर्गत की जाये। **उत्तराखण्ड कैम्पा की नियमावली के नियम संख्या–50 के अनुसार राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन उपरान्त वर्तमान नियमों में संशोधन इस आशय से आयोजित बैठक में उपस्थित दो तिहाई सदस्यों की सहमति से किया जा सकता है।**

{कार्यवाही प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), प्रमुख वन संरक्षक (वन पंचायत), मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) तथा मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊं)/ क्षेत्रीय इकाईयॉं; मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा}

एजेण्डा बिन्दु संख्या 3.3.1:– कैम्पा निधि के घटकवार समीक्षा में NPV बजट के सापेक्ष अनुमोदित APOs के क्षेत्र विशेष को उल्लेखित करने एवं तद्नुसार APOs का पुनर्विलोकन करने यथा–हरित योजना, वन पंचायत तथा राजभवन परिसर के आरकिडेरियम को संचालन समिति की आगामी बैठक में संशोधित APOs में सम्मिलित कर प्रस्तुत करने पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।

{कार्यवाही प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), प्रमुख वन संरक्षक (वन पंचायत), मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) तथा मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊ); मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा}

एजेण्डा बिन्दु संख्या 3.3.2:– CAT Plan में तकनीकी एवं वित्तीय मांपदण्ड में एकरूपता तथा क्षेत्रीय स्पष्टता लाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा चर्चा की गई जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

1. CAT Plans को संशोधित कर Professionally राही बनाया जाय एवं overall framework /दिशा निर्देश को पुर्ननिश्चित (revisit) किया जाय।
2. CAT Plans को संशोधित करते समय स्थानीय समुदाय से बैठकें करते हुये उनकी आवश्यक भागीदारी को सुनिश्चित किया जाय।
3. CAT Plans पर कार्य प्रारम्भ करने के लिये आवश्यक प्रारम्भिक कार्यो यथा–नर्सरियों की स्थापना, Collaborative Research, क्षमता विकास तथा Base Line सर्वे आदि के लिये प्रथम चरण में 5 प्रतिशत धन अवमुक्त किया जाना चाहिए।
4. प्रमुख वन संरक्षक की अध्यक्षता में प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), प्रमुख वन संरक्षक (परियोजनाऐं), अपर प्रमुख वन संरक्षक–वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊ) तथा सुश्री ज्योत्सना सितलिंग, *भा0व0से0* के Input लेते हुये CAT Plans के समस्त ढांचा को त्वरित अन्तिम रूप दिया जाय। बिन्दु संख्या–3 के सम्बन्ध में भी उचित दिशा निर्देश उक्त उच्च स्तरिय समिति द्वारा प्रदान किये जायेगें यथा Collaborative research एवं Base Line सर्वे कराने की ToR तथा क्षमता विकास (समुदाय एवं वन कर्मी) हेतु सक्षम संस्थाओं का चयन आदि।

{कार्यवाही प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), प्रमुख वन संरक्षक (परियोजनाऐं), अपर प्रमुख वन संरक्षक–वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) तथा मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊ); सुश्री ज्योत्सना सितलिंग (भा0व0से0); मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा }

एजेण्डा बिन्दु संख्या 3.4.1:– वन क्षेत्रों में किये जा रहे कार्यो को वन क्षेत्र हेतु उपलब्ध कार्य योजना में प्राविधानों के अनुसार Link करते हुये कार्यो को कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा हुई एवं निर्णय लिया गया कि वन क्षेत्रों में किये जाने वाले जिन कार्यो के लिए 13वें वित्त आयोग तथा वन विभाग की राज्य एवं केन्द्रीय पोषित योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध नहीं है एवं यह कार्य सतत् वन प्रबन्धन/वन्यजीव संरक्षण एवं रक्षित वन क्षेत्र संरक्षण/पर्यावरण संरक्षण–पर्यावरण सेवाऐं के लिए महत्वपूर्ण है, उनको NPV मद के अन्तर्गत कार्य कराने हेतु यथा सम्भव वन क्षेत्रों की कार्य योजना के प्राविधानों के साथ प्राथमिकता में जोड़ा जाये और इसका review मुख्य वन संरक्षक तथा वन संरक्षक स्तर से किया जाय।

{कार्यवाही प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), प्रमुख वन संरक्षक (वन पंचायत), मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) तथा मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊ); समस्त वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखण्ड; मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा}

एजेण्डा बिन्दु संख्या 3.5.1:– पूरे प्रदेश में विशिष्ट मॉडलों सहित इकाई दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रदेश को चार पारिस्थितकीय जोन-- (Trans Himalayas, Higher Himalayas, Middle Himalayas व तराई भावर) में बॉटकर, अपर प्रमुख वन संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन) की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर उच्च प्राथमिकता पर कार्यवाही की जाय। समिति द्वारा उत्तराखण्ड के पारिस्थितकीय जोन हेतु वन विभाग के लिए विशिष्ट मॉडल का विकास कर इकाई दरों के निर्धारण सम्बन्धित रिपोर्ट पर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

{कार्यवाही अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड; मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊ); मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव); समस्त वन संरक्षक/निदेशक, राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखण्ड}

एजेण्डा बिन्दु संख्या 3.5.2:– वन विभाग की पहल पर स्थापित महिला नर्सरियों में वर्तमान में उपलब्ध एवं उपयोगी पौध को कैम्पा फण्ड से आगामी रोपण हेतु वन विभाग हेतु क्रय करने के सम्बन्ध में कार्यकारी समिति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुये निर्देशित किया गया कि उक्तानुसार पौध की मांग को चारों स्तरों {प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), प्रमुख वन संरक्षक (वन पंचायत), मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) तथा मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊ)} पर संकलित किया जाये तद्नुसार वार्षिक कार्ययोजना (APO) के संशोधन में शामिल करते हुये अनुमोदनार्थ संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

{कार्यवाही प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), प्रमुख वन संरक्षक (वन पंचायत), मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) तथा मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊ); मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा}

एजेण्डा बिन्दु संख्या 3.6.1:– वन पंचायतों हेतु Eco-service delivery के Model को विकसित करने एवं उनका क्रियान्वयन वन पंचायतों के माध्यम से कराये जाने पर कार्यकारी समिति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई तथा समस्त सदस्यगणों से अनुरोध किया गया कि इस model को प्रभावी रूप में विकसित करने हेतु अपने सुझाव एक सप्ताह में दें। प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुये वन पंचायतों के माध्यम से eco-service delivery centres एवं model के conceptual framework को संचालन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

{कार्यवाही प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), प्रमुख वन संरक्षक (वन पंचायत), मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) तथा मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊ); मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा}

एजेण्डा बिन्दु संख्या 3.7.1:– वन विभाग के आधुनिकीकरण के क्रम में विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य प्रभावी संचार व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से सभी कार्मिकों (लगभग 8000) को BSNL/Other Telecom Services के आम उपयोग समूह सुविधाऐं (Common user Group Facilities) का प्लान लेने के सम्बन्ध में समिति द्वारा चर्चा की गई एवं सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान करते हुये उत्तराखण्ड कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उपरोक्त के सम्बन्ध में पूर्ण कार्यवाही करते हुये समिति के अध्यक्ष के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया तथा निर्णय लिया गया कि उक्त पर होने वाले व्यय की Capital Cost के एक मुश्त व्यय को कैम्पा धनराशि से तथा भविष्य में इसपर होने वाले Recurring cost के व्यय को वन विभाग की अपनी संचित मदों/ Schemes से किया जाय। तद्नुसार वार्षिक कार्य योजना (APO) को संशोधित कर आगामी संचालन समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा)

एजेण्डा बिन्दु संख्या 3.8.1:– उत्तराखण्ड कैम्पा के लिए वैब साईट एवं वैब आधारित MIS को विकसित करने के लिए की जा रही कार्यवाही एवं उक्त कार्य की ToR का सदस्यगणों द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा समयबद्ध अग्रेतर कार्यवाही के लिय मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया।

(कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा)

एजेण्डा बिन्दु संख्या 3.9.1:– उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाइटी के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में निगमित सामाजिक दायित्व (corporate Social responsibility ((CSR)) तथा भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं मिशन के अन्तर्गत वन पंचायतों की बेहतर कार्ययोजना बनावाकर कैम्पा सोसाइटी के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई तथा समयबद्ध अग्रेतर कार्यवाही के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा)

एजेण्डा बिन्दु संख्या 3.10.1:– असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ सुरक्षा हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा के अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक, आजीविका एवं एन.टी.एफ.पी. के द्वारा सुझाई गई समिति के गठन जिसको कि विधिक सलाह हेतु भेजा गया है। इस पर समिति द्वारा चर्चा की गई तथा निर्देशित किया गया कि विधिक सलाह उपरान्त समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया गया।

(कार्यवाही मुख्य वन संरक्षक, आजीविका एवं एन.टी.एफ.पी. तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा)

एजेण्डा बिन्दु संख्या 3.11:– अध्यक्ष महोदय की आज्ञा लेकर अतिरिक्त बिन्दु के रूप में मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊ) द्वारा सुझाये गये बिन्दु– वर्ष 2010–11 में आगामी वर्ष 2011–12 के लिये अग्रिम मृदा कार्य किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई एवं विभाग के नियोजित कार्यो के अतिरिक्त कैम्पा धनराशि के सापेक्ष अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना में आगामी वर्ष हेतु प्राविधानित वृक्षारोपण कार्यो के लिए इस वर्ष में समयान्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य पूर्ण किये जाने हेतु समिति द्वारा निर्देशित किया गया। उक्त के सम्बन्ध में प्रस्ताव/सुझाव प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), प्रमुख वन संरक्षक (वन पंचायत), मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) एवं मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊ) से प्राप्त कर लिये जाय।

(कार्यवाही प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), प्रमुख वन संरक्षक (वन पंचायत), मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) तथा मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊ))

अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुये धन्यवाद सहित बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड कैम्पा

(डा.आर.बी.एस. रावत)
अध्यक्ष कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
एवं प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड